

06.03.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय में तीन बार आवज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर रकारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

~~06/03/25~~  
स्थापक न्यायाधीश  
(S.D.O), वाडवे

